राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 197/2017/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अंकलेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी,
मेहता प्याउ के पास, मेन बाजार, सुमेरपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.दौसाया, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 01/आरवेट/सुमेरपुर/2016–17 पारित अपीलीय आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के जरिये आरोपित शास्ति रूपये 1,26,166/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2016 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 09 जीए–0065 को मावल पर चैक किया गया। वाहन में परिवहनित माल कपासिया नन्दयाल (कुरनूल) आन्ध्रप्रदेश से सुमेरपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया जिसके संबंध में वाहन चालक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

1. बिल्टी नं0 12320 दिनांक 14.03.2016 काम्बेश्वर रोड़ लाईन्स वास्ते 160 बोरी कपासिया
2. बिल्टी नं0 12321 दिनांक 14.03.2016 काम्बेश्वर रोड़ लाईन्स वास्ते 160 बोरी कपासिया
3. बिल नं0 42 दिनांक 10.03.2016 प्रेषक मैसर्स मानसा ट्रेडिंग कम्पनी, आर.एस. रोड़ नूनेपल्ली रोड़, नन्दयाल, आन्ध्र प्रदेश, प्रेषिति अंकलेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर टिन नं0–08742254163

कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि परिवहनित माल कपासिया अधिसूचित माल है, जिसके लिये वैट 47/47ए विधिक रूप से माल के साथ परिवहन के समय आवश्यक दस्तावेज है, परन्तु परिवहन जांच के दौरान प्रपत्र 47 साथ नहीं पाये जाने से एंव अधिसूचित माल बिना घोषणा पत्रों के परिवहनित किया जाना पाये जाने के कारण धारा 76(6) में कार्यवाही करते हुए आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया।

लगातार.....2

व्यवहारी ने अपने प्रत्युत्तर में बताया था कि परिवहनित माल (Cottonseed) कपासिया को अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के द्वारा ही अधिसूचित माल की श्रेणी में शामिल किया गया है तथा इससे पूर्व कपासिया के लिये वैट 47/47ए की विधिक आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रेषक फर्म को प्रपत्र 47 भेजा नहीं गया था। प्रत्यर्थी को इस तथ्य का ज्ञान होने से पूर्व ही प्रेषक व्यवहारी द्वारा पूर्व दिये गये क्रयादेश की पालना में दिनांक 10.03.2016 को माल रवाना कर दिया था तथा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में दि. 16.03.2016 को ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वैट 47ए क्रमांक ई 47ए 160316386427 आयातित माल के समर्थन में प्रस्तुत किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए धारा 76(6) के तहत परिवहनित माल पर शास्ति आरोपित की है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसको अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित अधिसूचित माल के साथ प्रस्तुत बिल के अलावा बिल्टी व घोषणा पत्र वैट 47/47ए नहीं होना पाया गया। प्रस्तुत दस्तवेजों के अलावा माल लदान के बाद घोषणा पत्र वैट 47/47ए न तो दिया जाना एवं न ही पीछे भूलकर आना बयान किया गया। दस्तावेजों के साथ बिल/बिल्टी के साथ घोषणा पत्र वैट 47/47ए का होना विधिक अनिवार्यता है तथा उक्त घोषणा पत्र के अभाव में अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपणीय है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि दिनांक 08.03.2016 से कपासिया (Cottonseed) को अधिसूचित माल की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है तथा यह माल प्रेषक द्वारा दिनांक 10.03.2016 को ही रवाना कर दिया गया था जिसे राज्य में प्रवेश पर परिवहन के दौरान दिनांक 14.03.2016 को चैक किया गया है। व्यवहारी ने जवाब के साथ ऑनलाईन जनरेटेड प्रपत्र 47ए प्रस्तुत कर दिया था, जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया एवं अस्वीकार किये जाने का कोई विधिक कारण उल्लेखित नहीं किया है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1. S.B. Sales Tax Revision Petition No. 190/2012 M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi Dated 07.01.2013 (RHC).
2. State of Rajasthan Vs M/s DP Metals (2001) 124 STC 611 SC
3. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2374/2010/अलवर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स सैरा टैक इण्डिया लि0, भिवाड़ी निर्णय दिनांक 29.06.2012

अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2016 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 09 जीए–0065 को मावल पर चैक किया गया। वाहन में परिवहनित माल कपासिया नन्दयाल (कुरनूल) आन्ध्रप्रदेश से सुमेरपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल कपासिया (Cottonseed) जो कि अधिसूचित माल है, के लिये वक्त जांच के वांछित प्रपत्र दस्तावेज वैट 47/47ए साथ नहीं पाये जाने के कारण शास्ति आरोपण किया गया। अपीलार्थी को शास्ति बाबत वाहन चालक के जरिये जारी सम्मन की पालना में दिनांक 16.08.2016 को लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर उन कारणों एवं तथ्यों को उल्लेखित किया जिस कारण वक्त जांच घोषणा पत्र वैट 47ए साथ नहीं पाया गया। साथ ही जारी सम्मन की पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2016 को ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र क्रमांक ई47ए 160316386427 कारणों एवं परिस्थितियों के प्रस्तुत कर दिया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत घोषणा पत्र को अस्वीकार किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की न तो जांच की न ही पारित आदेश में उक्त कारणों को उल्लेखित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी कारण वक्त जांच के कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है एवं जारी सम्मन की पालना में समुचित कारण सहित प्रस्तुत किये जाने पर वह स्वीकार्य है।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मैसर्स डी0पी0मेटल्स के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा जारी सम्मन की पालना में वक्त जांच के घोषणा पत्र साथ में नहीं होने के तथ्यों को उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वैट 47ए स्वीकार योग्य है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैसर्स डी0पी0मेटल्स के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

"If by mistake some of the documents were not readily available at the time of checking, principles of natural justice might require oportunity being given to produce the same." इससे स्पष्ट होता है कि यदि त्रुटिवश या तथ्य एवं परिस्थितिवश कुछ दस्तावेज माल के साथ लगने से रह जाने के कारण चैकिंग के समय प्रस्तुत नहीं किये जा सके तो उन्हें पेश करने हेतु व्यवसायी को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगे यह भी अवधारित किया गया है कि "If required documents have been submitted after issuing show cause notice than the penalty should not be levied until conducting independent enquiries."

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जांच किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं जिससे यह पुष्ट हो कि परिवहनित माल के संबंध में वक्त जांच के प्रस्तुत दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी आदि बोगस/मिथ्या थे एवं धारा 76(2)(बी) के अनुसरण में स्वीकार्य नहीं थे। वांछित घोषणा प्रपत्र वैट 47ए वक्त जांच के साथ नहीं होने के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्मन की पालना में ऑनलाइन जनरेटेड घोषणा प्रपत्र वेट 47ए क्रमांक ई47ए 160316386427 प्रस्तुत कर दिया गया था।

लगातार.....4

8. प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल कपासिया (Cottonseed) को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 राज्य का बजट पेश होने के दिन जारी करसम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ में जारी अधिसूचना क्रमांक F12(11)FD/Tax/2016-202 दिनांक 08.03.2016 के जरिये ही घोषणा पत्र 47A की अनिवार्यता बाबत अधिसूचित किया गया था। प्रेषिति व्यवहारी को यह जानकारी होने से पूर्व ही प्रेषक ने माल रवाना कर दिया था एवं राजस्थान राज्य में प्रवेश के समय ही मावल नामक स्थान पर जांच अधिकारी द्वारा वाहन चैक किया गया था। तद्पश्चात अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के क्रम में घोषणा पत्र वैट 47ए की अनिवार्यता होने की जानकारी प्राप्त होते ही प्रत्यर्थी ने यह फॉर्म ऑनलाईन जनरेट कर प्रस्तुत कर दिया था। अतः प्रकरण विशेष के तथ्य एवं परिस्थिति देखते हुए वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देने के उपरान्त शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं प्रकरण की विशेष परिस्थति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित विस्तृत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य